

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2013

S.O. 2903(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide no. S.O.114 (E) dated 9th January 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority, and

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following areas measuring 1.566 ha at PaschimVihar in Zone-G is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use (MDP-2021)	Land use changed to	Boundaries
Area measuring 1.566 ha (3.87 acre) at Jwala Puri-Paschim Vihar, G-17, Zone-G	1.566 ha	'Residential'	'Public & Semi-Public Facilities (Hospital-B)'	North: Proposed Road 30 ft. (9.0 M) East: Road & Defence Apartment West: Gurudwara, Temple and Sulabh Complex South: Proposed Local Shopping

[No. K-13011/4/2013-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2231]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2013/आश्विन 2, 1935

No. 2231]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2013/ASVINA 2, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

का.आ. 2903(अ).—यतःयहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 9 जनवरी, 2013 की का.आ.सं.114(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपतियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और
- यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-जी में पश्चिम विहार में 1.566 हेक्टेयर निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग निम्न विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है।

स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो. 2021)	प्रस्तावित भू-उपयोग	स्थल/क्षेत्र की सीमाएं
1.जोन-जी ज्वालापुरी पश्चिम विहार, जी-17, जोन जी, में 1.566 हेक्टेयर (3.87 एकड़) क्षेत्रफल	1.566 हेक्टेयर	"आवासीय"	"सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाएं (अस्पताल बी)"	उत्तर : प्रस्तावित सड़क 30 फुट (9.0 मीटर) पूर्व: सड़क एवं डिफेंस अपार्टमेंट पश्चिम गुरु द्वारा, मन्दिर और सुलभ कॉम्प्लैक्स दक्षिण : प्रस्तावित स्थानीय बाजार

[फा. सं. के-13011/4/2013-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव